



Talaaq Ke Aasaan Masaail (Hindi)

तलाक़

के आसान मसाइल



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِإِلٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ سُورَةِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

किताब षष्ठी की दुआ

अज़ : शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अंत्तार क़ादिरी र-ज़वी दावी दावी दावी

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये इन्हें اللہ عزوجل

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَلْذُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ

तरजमा : ऐ अल्लाह ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमा ! ऐ अ-ज़मत और बुजुर्गी वाले । (المُسْتَطَرُج ١، ٤٠ دار الفکر بيروت)

नोट : अब्वल आखिर एक एक बार दुरुद शरीफ पढ़ लीजिये ।

तालिब गमे मदीना

व बकीअ

व मगिफ़त



13 शब्वालुल मुर्कर्म 1428 हि.

तळाक के आसान मसाइल

ये हरिसाला (तळाक के आसान मसाइल)

मुफ़्ती मुहम्मद कासिम अंत्तारी अल म-दनी ने उर्दू ज़बान में तहरीर फ़रमाया है, जिसे मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने पेश किया है ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ करवाया है । इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये ।

राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,

तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, गुजरात

MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

तृलाक

के आसान मसाइल

मुअल्लिफ़ : मुफ्ती मुहम्मद क़ासिम अ़त्तारी

पेशकश

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मय्या (दा'वते इस्लामी)
(शो'बए इस्लाही कुतुब)

नाशिर

मक-त-बतुल मदीना अहमदआबाद

नाम किताब :	तळाक के आसान मसाइल
मुआलिफ़ :	मुफ्ती क़ासिम अ़त्तारी
सिने तबाअत :	मुहर्रमुल हराम 1435 सि.हि.
नाशिर :	मक-त-बतुल मदीना अहमदआबाद
ता'दाद :	5000

मक-त-बतुल मदीना की शारखें

मुम्बई :	19, 20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429
देहली :	421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560
नागपुर :	मुहम्मद अली सराय रोड (C / 0) जामिअतुल मदीना, कमाल शाह बाबा दरगाह के पास, मोमिनपुरा, नागपुर फ़ोन : 0712-2737290
अजमेर शरीफ़ :	19 / 216 फ़लाहे दारैन मस्जिद के क़रीब, नला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, : (0145) 2629385
हुब्ली :	A.J. मुढोल कोम्प्लेक्स, A.J. मुढोल रोड, ब्रीज के पास, हुब्ली - 580024. फ़ोन : 09343268414
हैदरआबाद :	पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786

म-दनी इल्लिज़ा : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ السَّيِّطِنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

अल मदीनतुल इल्मिया

अज़्य शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी
हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अंत्तार
क़ादिरी र-ज़वी ज़ियार्ड दामेत बरकातुल्लाह

الحمد لله على إحسانه وبفضل رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم
تब्लीغे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक “दा'वते
इस्लामी” नेकी की दा'वत, एहयाए सुन्नत और इशाअते इल्मे शरीअत
को दुन्या भर में आम करने का अऱ्जे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उम्र
को ब हुस्नो ख़बूबी सर अन्जाम देने के लिये मु-तअ़द्दद मजालिस का
कियाम अमल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस “अल मदीनतुल
इल्मिया” भी है जो दा'वते इस्लामी के उलमा व मुफ्तियाने किराम
पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इल्मी, तहक़ीकी और
इशाअती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए जैल छ शो'बे हैं :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| (1) शो'बए कुतुबे आ'ला हज़रत | (2) शो'बए तराजिमे कुतुब |
| (3) शो'बए दर्सी कुतुब | (4) शो'बए इस्लाही कुतुब |
| (5) शो'बए तफ्तीशे कुतुब | (6) शो'बए तख्तीज |

“अल मदीनतुल इल्मिया” की अव्वलीन तरजीह सरकारे

आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अःज़ीमुल ब-र-कत, अःज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्पू रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदअःत, आलिमे शरीअःत, पीरे तरीक़त, बाइसे ख़ैरो ब-र-कत, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफ़िज़ अल क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن की गिरां मायह तसानीफ़ को अःसे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक़ हत्तल वस्त्र सहल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इल्मी, तहक़ीकी और इशाअःती म-दनी काम में हर मुम्किन तआवुन फ़रमाएं और मजालिस की तरफ़ से शाएः छोड़ने वाली कुतुब का खुद भी मुता-लआ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं।

اللَّاهُ أَكْبَرُ
“दा'वते इस्लामी” की तमाम मजालिस ब शुमूल “अल मदीनतुल इल्मिया” को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक़ी अःता फ़रमाए और हमारे हर अ-मले ख़ैर को जेवरे इख़्लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें जेरे गुम्बदे ख़ज़रा शहादत, जन्तुल बक़ीअः में मदफ़न और जन्तुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए।

امين بجاه الٰئمین عَلَيْهِ الْبَشَرُوُّدُ وَالْمُؤْمِنُوُدُ



र-मज़ानुल मुबारक 1425 हि.

मुकद्दमा

दीने इस्लाम कामिल व अक्मल ज़ाबित़ए हयात है। हमारे मुआ-श-रती व इन्फ़िरादी इरतिक़ा का मदार क़ानूने इस्लामी पर अ़मल में है। ज़िन्दगी के हर शो'बे से मु-तअ़्लिलक़ रहनुमा उसूल मौजूद हैं। अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نُعْمَانِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا۔ (المائدة: ٣)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : “आज मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी ने’मत पूरी कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन पसन्द किया।”

दीने इस्लाम ने दीगर शो’बाहाए ज़िन्दगी के इलावा खुसूसिय्यत के साथ फ़र्द की शख्सी ता’मीर पर ज़ोर दिया है ताकि इन्सान की निजी, ख़ानदानी और तमहुनी मुआ-शरत हर किस्म के सुक्रम से महफूज़ रहे। कवानीन व अहकामे शरीअत को नाफ़िज़ करने के लिये सरकारे दो जहां عَلَيْهِ الطَّيِّبُ التَّحْيَةُ وَأَحْمَلُ الشَّفَاءَ मशअ्ले राह है।

इस्लाम ने फ़र्द का एहतिराम किया इसे अपनी मरज़ी से परवान चढ़ने और आज़ादाना ज़िन्दगी गुज़ारने की इजाज़त दी मगर कुछ हुदूद मुकर्रर फ़रमाई। मुआ-श-रती इरतिक़ा इन्फ़िरादी व शख्सी ता’मीर में मुज़म्मर है और येह उसूल किसी ज़ी फ़हमो फ़िरासत से पोशीदा नहीं कि फ़र्द ही से मुआ-शरा तक्मील पाता है। मुआ-शरे के अफ़्राद बाहम मु-तअ़्लिलक़ होते हैं और इन के इस तअ़्लिलक़ को मुख़ालिफ़ अन्वाअ़

के ए'तिबार से मुख्तलिफ़ नाम दिये जाते हैं और इस सिल्सिले में अहम तरीन तअल्लुक़ जौजैन का भी है। इस की अहमिय्यत का अन्दाज़ा इस बात से हो सकता है कि येही रिश्ता क़ौमों में बाहम तअल्लुक़ का सबब बना और बन रहा है।

इस्लाम का मन्त्र येह है कि जो अफ़्रादे मुआ-शरा बाहम इज़्दवाजी रिश्ते से मुन्सिलिक हो जाएं उन के तअल्लुक़े निकाह को क़ाइम रखने की हत्तल मक़दूर कोशिश की जाए और इन की बाहमी मुआ-शरत ऐसी हो कि जिस से इन्सानी मुआ-शरे का क़सरे रफ़ीअता'मीर हो। अल्लाह عَلَيْهِ الْكَبُّرُ फ़रमाता है :

(١٨٧) تَرَ-جَ-مَاءِ كَنْجُولَ إِيمَانٌ :
“هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ” (البقرة)

“वोह तुम्हारी लिबास हैं और तुम उन के लिबास।”

जिस तरह लिबास पर्दा है उँयूब को छुपाता है, ज़ीनत है हुस्नो जमाल को निखारता है। राहत है सर्दी व गर्मी से बचाता है बि ऐनिही, मियां बीवी एक दूसरे के लिये पर्दा, ज़ीनत और राहत हों और यूं मिल्लते इस्लामिया का हर घर जन्त नज़ीर बन जाए। इस के बर अ़क्स अगर अ़दम मुवा-फ़क़त व मुख्बा-लफ़त की कैफ़िय्यत पैदा हो जाए या बाहमी मुना-फ़रत जन्म ले तो अरबाबे हल्लो अ़क्द इस इख्लाफ़ व अ़दम इत्तिफ़ाक की बैख़ कुनी की भरपूर सअूय करें। और उन्हें ज़ेहनी तौर पर यक्जा करें क्यूं कि ज़ेहनी हम-आहंगी न होने की वजह से इब्तिदा अ़दम मुवा-फ़क़त और फिर बाहमी मुना-फ़रत व तनाजुआत की कैफ़िय्यत हो जाती है। जिस की वजह से येह पाकीज़ा रिश्ता क़ाइम रखना मुश्किल

बल्कि बा'ज़ अवक़ात ना मुम्किन हो जाता है। होना तो येह चाहिये कि येह रिश्तए इज़्दिवाज क़ाइम रहे लेकिन जब क़वी अन्देशा हो कि अ़दम मुवा-फ़क़त की वजह से वोह बाहम हुदूदुल्लाह क़ाइम न रख सकेंगे और निकाह के फ़वाइदो स-मरात फ़ौत हो जाएंगे तो इस्लाम ने तळाक और इस के मु-तअल्लिक़ात का एक ऐसा मरबूत निज़ाम अ़त़ा फ़रमाया है कि जिस के अपने उसूलो ज़्वाबित हैं, इन में भी इन्सान की फ़ौजो फ़लाह पोशीदा है मगर अप्सोस अ़वामुन्नास, अपनी ला इल्मी व जहालत की वजह से इस निज़ाम के चश्मए साफ़ी से सैराब होने से महरूम हैं। तळाक के हथियार को बे दरेग 'इस्त' माल करने की वजह से मुआ-शेरे का अम्मो सुकून और आ'ला अक़दार रू ब ज़्वाल हैं। मुआ-श-रती ज़िन्दगी में सख़्त बेचैनी व इज़्त्राब है। दिल ख़राश और ज़ज्बात को लहू लुहान करने वाले बीसियों वाकि़अ़ात हमारे सामने हैं। जिन्हें देख कर दिल कांप उठता है और रूह पर ग़मो अन्दोह छा जाता है। ज़रूरत है कि मसाइले तळाक को आम फ़हम अन्दाज़ में अ़वामुन्नास में पेश किया जाए।

الْحَمْدُ لِلَّهِ ! इस मुआ-श-रती ज़रूरत को महसूस करते हुए रब्बे काएनात صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّوَ جَلَّ के करम और महबूबे करीम तुफ़ैल बरादरे मोहतरम मुफ़्ती मुहम्मद क़ासिम क़ादिरी साहिब ने, अल्लाह तअ़ाला इन के ड़लूम और फुयूज़ो ब-रकात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, मुसल्मान भाइयों की खैर ख्वाही के इस निज़ाम को मु-तअ़ारिफ़ करवाने के लिये येह किताब तालीफ़ फ़रमाई जो कि आसान, आम फ़हम और इन्तिहाई सलीस अन्दाज़ में होने के बा वुजूद रब्तो रवानी, फ़िक़ही गहराई व घिराई

और जामिइय्यत को अपने जिलौ में लिये हुए हैं।

इस किताब पर अ़मल करने से तळाक के ग़लत इस्ति'माल की वजह से मुआ-शरे में नफ़्रत व अ़दावत का जो रिस्ता हुवा नासूर क़लक़ और इफ़ितराक़ के जरासीम फैला रहा है इस के लिये मरहम का काम देगी।

दुआ है कि अल्लाह व रसूल ﷺ की बारगाहे बेकस पनाह में येह किताब मक्कूल हो और मुसल्मानों के लिये मुफ़ीद हो।

اَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

मुहम्मद नईम अल अ़त्तारिय्युल म-दनी

9, जुमादल अब्बल 1424 सि.हि. ब मुताबिक़ 8 जूलाई 2003 सि.ई.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

सुवाल नम्बर १ :- एक शादी शुदा आदमी को तळाक के मसाइल सीखना ज़रूरी हैं या नहीं ?

जवाब :- हर शख्स को उन मसाइल का सीखना ज़रूरी है जिस की उसे मौजूदा वक्त में ज़रूरत और जिन चीजों के साथ इस का तअल्लुक है म-सलन नमाज़ी के लिये नमाज़ के फ़राइज़, वाजिबात और नमाज़ को फ़ासिद या नाक़िस करने वाली चीजों का सीखना ज़रूरी है। यूंही रोज़ा रखने वाले के लिये रोज़े को तोड़ने वाली चीजों का जानना ज़रूरी है। तिजारत करने वाले के लिये ख़रीदो फ़रोख़ के मसाइल जानना ज़रूरी है। औरतों के लिये हैज़ो निफ़ास और शोहर के हुकूक के मु-तअल्लुक मसाइल जानना ज़रूरी है। और शोहर के लिये बीवी के हुकूक और मख़्सूस अव्याम में उस के क़रीब जाने के मसाइल सीखना ज़रूरी है। इसी तरह तळाक के मसाइल हैं। कि जब तक तळाक का मौक़अ़ नहीं आया तब तक तळाक के मसाइल सीखना ज़रूरी नहीं लेकिन जब तळाक का इरादा हो उस वक्त ज़रूरी है कि तळाक के मसाइल सीखे कि तळाक किस तरह दे ? किन हालात में तळाक देना जाइज़ है ? कितनी तळाक देना जाइज़ है ? तळाक के और मसाइल क्या हैं ? वगैरा। लिहाज़ा जो शख्स भी तळाक का इरादा करे तो उस वक्त उसे तळाक के मसाइल जानना ज़रूरी हैं। और इस से पहले मुस्तहब हैं कि मौजूदा हाजत से ज़ाइद मसाइल का सीखना मुस्तहब है।

(खुलासा अज़ फ़तावा र-ज़विय्या गैर मुखर्रजा, जिल्द दहम 10 , स. 16)

सुवाल नम्बर 2 :- क्या बिला वजह औरत को तळाक़ देना जाइज़ है ?

जवाब :- बिला ज़रूरत औरत को तळाक़ देना जाइज़ नहीं आज कल मा'मूली मा'मूली बातों पर औरत को तळाक़ दे देते हैं और बा'द में ड़-लमाए किराम के पास जा कर रोते हैं। पहले ही सोच समझ कर ऐसा नाजुक फैसला करना चाहिये। अबू दावूद शरीफ़ में हडीसे पाक है : “**اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حُلُولِ ابْنِ آدَمَ**” (مشکوٰہ ص ۱۸۴) इमामे अहले सुन्नत, आ'ला हज़रत इमाम अहमद रजा खान ने फ़तावा ر-ज़विय्या जिल्द 5 किताबुत्तळाक़ के सफ़हान नम्बर 1 पर और सदरुशशरीअःह मौलाना अमजद अःली आ'ज़मी عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ ने फ़तावा अम्जदिय्या 2/164 पर बिला ज़रूरत तळाक़ देने को ममूूँ अव गुनाह क़रार दिया है।

सुवाल नम्बर 3 :- क्या औरत के लिये तळाक़ का मुता-लबा करना जाइज़ है ?

जवाब :- अगर ज़ौज व जौजा में ना इत्तिफ़ाक़ी रहती है और येह अन्देशा हो कि अहकामे शरइय्या की पाबन्दी न कर सकेंगे, तो औरत शोहर के साथ खुलअः कर के तळाक ले सकती है लेकिन शोहर की त्रफ़ से किसी क़िस्म की अज़िय्यत के बिगैर औरत का उस से तळाक़ का मुता-लबा हराम है चुनान्चे हडीसे मुबारक में है : “**جِئْنَاهُ لِلْأَنْوَارِ مَنْ يَتَّقَبِّلْنَاهُ فَلَهُمْ مُّلْكُ الْأَرْضِ وَلَا يَرْثُونَ حَسْبًا**” (مشکوٰہ ص ۱۸۴) आज कल औरतें आ'ला क़िस्म का खाना न मिलने पर, मेकअप का सामान न मिलने पर, रिश्तेदारों के हां जाने की इजाज़त

न मिलने पर, मुश्तरिका घर में जुदा कमरा मिलने के बा वुजूद अ़्लाहिदा घर का मुता-लबा पूरा न होने पर और इसी किस्म की दीगर मा'मूली मा'मूली बातों पर तळाक़ का मुता-लबा करती हैं ये ह ना जाइज़ व गुनाह है और ऐसी औरतें मज़कूरा बाला वईद की मुस्तहिक़ हैं। और ऐसे ही वोह मां बाप और बहन भाई और दीगर रिश्तेदार जो औरत को मज़कूरा वुजूहात की बिना पर तळाक़ लेने पर उभारते हैं और शोहर को धमकाते और उस से तळाक़ का मुता-लबा करते हैं और औरत को जब्रन घर (मयके) में बिठा लेते हैं वोह सब भी इस गुनाह और वईद में शारीक हैं। और बा'ज़ अहादीस में बिला वजह तळाक़ का मुता-लबा करने वाली औरतों को मुनाफ़िक़ा क़रार दिया है।

सुवाल नम्बर 4 :- क्या औरत बज़ाते खुद कोर्ट से तळाक़ ले सकती है ?

जवाब :- तळाक़ का इख्�tiयार शरीअत ने मर्द को दिया है। इस के इलावा कोई दूसरा तळाक़ नहीं दे सकता। आयते मुबा-रका है (٢٣٧) “تَرَ-جِ-مَاءِ كَنْجُولَ إِيمَانٌ : (वोह) जिस के हाथ में निकाह की गिरह है” और हडीसे मुबारक है “الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخْذَ بِالسَّاقِ” “तळाक़ का मालिक वोही है जो औरत से जिमाअ करे।” लिहाज़ा अगर कोर्ट ने शोहर के तळाक़ दिये बिगैर यक तरफ़ा औरत के हड़क में फैसला कर के तळाक़ दे दी तो उसे तळाक़ न होगी और उस औरत का दूसरी जगह निकाह करना हराम व ज़िना है।

सुवाल नम्बर 5 :- औरत को किन हालात में तळाक़ देना गुनाह नहीं ?

जवाब :- औरत शोहर को या शोहर के दीगर रिश्तेदारों को तक्लीफ़

पहुंचाती है या नमाज़ नहीं पढ़ती है या औरत बे हया व ज़ानिया है तो ऐसी सूरत में शोहर के लिये तळाक़ देना जाइज़ है और बा'ज़ सूरतों में तो तळाक़ देना वाजिब है म-सलन शोहर नामर्द है, या हीजड़ा है या उस पर किसी ने जादू या अमल कर दिया है कि वोह जिमाअ़ पर क़ादिर नहीं । और इस के इज़ाले की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती तो इन सूरतों में तळाक़ देना वाजिब है जब कि औरत साथ रहने पर राज़ी न हो ।

सुवाल नम्बर 6 :- अगर तळाक़ गुस्से में दी जाए तो वाकेअ़ हो जाती है या नहीं ?

जवाब :- अगर गुस्सा इस हृद का हो कि अ़क्ल जाती रहे या'नी आदमी की ह़ालत पागलों वाली हो जाए ऐसी ह़ालत में दी हुई तळाक़ न होगी । लेकिन ऐसी ह़ालत हज़ारों क्या लाखों में किसी एक की होती होगी अक्सर यूं नहीं होता बल्कि गुस्से की आखिरी ह़ालत येही होती है कि रगे फूल जाएं, आ'ज़ा कांपने लगें, चेहरा सुर्ख़ हो जाए और अल्फ़ाज़ कप-कपाएं । ऐसी ह़ालत में या इस से कम गुस्से में तळाक़ दी तो वाकेअ़ हो जाएगी । और आज कल येही सूरते ह़ाल होती है । बा'द में कहते हैं : जनाब ! हम ने तो गुस्से में तळाक़ दी थी । ऐसे हज़रात की ख़िदमत में अर्ज़ है कि तळाक़ उमूमन गुस्से में ही दी जाती है खुशी और प्यार महब्बत के दौरान तो शायद ही कोई तळाक़ देता हो लिहाज़ा येह उन्ने दुरुस्त नहीं ।

सुवाल नम्बर 7 :- अगर तळाक़ के वक्त औरत मौजूद न हो तो तळाक़ हो जाएगी या नहीं ?

जवाब :- तळाक़ के लिये बीवी का वहां मौजूद होना ज़रूरी नहीं । शोहर

बीवी के सामने तळाक़ दे या दीगर रिश्तेदारों के सामने या दोस्तों के सामने या बिल्कुल तन्हाई में हर हळ में अगर शोहर ने इतनी आवाज़ से अल्फ़ाज़े तळाक़ कहे कि इस के कानों ने सुन लिये या कानों ने शोर वगैरा की वजह से सुने तो नहीं लेकिन आवाज़ इतनी थी कि अगर आहिस्ता सुनने का मरज़ या शोर वगैरा न होता तो कान सुन लेते ऐसी सूरत में तळाक़ वाकेअ़ हो जाएगी। किसी दूसरे शख्स का मौजूद होना या बीवी या किसी दूसरे का तळाक़ के अल्फ़ाज़ सुनना कोई ज़रूरी नहीं।

सुवाल नम्बर 8 :- अगर दोस्तों से या बीवी से मज़ाक़ करते हुए बीवी को तळाक़ दे दी तो हो जाएगी या नहीं ?

जवाब :- तळाक़ का मुआ-मला ऐसा है कि मज़ाक़ में देने से भी तळाक़ वाकेअ़ हो जाती है। हळीसे मुबारक है : “तीन चीजें ऐसी हैं कि इन में सन्जी-दगी भी सन्जी-दगी है और मज़ाक़ भी सन्जी-दगी है (या’नी मज़ाक़ में भी वोही हुक्म है जो सन्जी-दगी में है) निकाह, तळाक़ और (तळाक़ के बा’द) रुजूअ़ करना।”

(مشکوٰۃ مسیح ۱۸۸)

लिहाज़ा अगर किसी ने अपनी हळीकी बीवी को मज़ाक़ या फ़िल्म या डिरामे में तळाक़ दी तो भी तळाक़ हो जाएगी।

सुवाल नम्बर 9 :- अगर किसी आदमी को क़त्ल वगैरा की धमकी दे कर तळाक़ देने पर मजबूर किया गया और धमकी देने वाला उस धमकी को अ़-मली जामा पहनाने पर क़ादिर भी हो और उस ने तळाक़ दे दी तो तळाक़ वाकेअ़ होगी या नहीं ?

जवाब :- इस मस्अले की चन्द सूरतें हैं (1) अगर मजबूर करने पर

ज़बानी तळाक दी तो वाकेअ हो जाएगी । (2) अगर मजबूर करने पर तहरीरी तळाक दी या तळाक के परचे पर दस्त-ख़त कर दिये और दिल में भी तळाक की निय्यत कर ली तो तळाक हो गई । (3) अगर मजबूर करने पर तहरीरी तळाक दी और ज़बान से कुछ न कहा और न ही दिल में निय्यत की तो तळाक न होगी ।

सुवाल नम्बर 10 :- अगर तळाक के वक्त औरत लेने से इन्कार कर दे या तळाक का परचा फाड़ दे या औरत का बाप या भाई तळाक का परचा फाड़ दे तो तळाक होगी या नहीं ?

जवाब :- तळाक के लिये औरत का क़बूल करना ज़रूरी नहीं । शोहर ने जब तळाक के अलफ़ाज़ ज़बान से अदा कर दिये तो तळाक वाकेअ हो गई । औरत या उस के घर वाले क़बूल करें या न करें । येही हाल परचा फाड़ने का है अलबत्ता इसी में मज़ीद सूरतें भी हैं । जिन को तहरीरी तळाक में बयान करेंगे ।

सुवाल नम्बर 11 :- अगर तळाक के वक्त औरत को हैज़ या हम्ल हो तो तळाक वाकेअ होगी या नहीं ?

जवाब :- हैज़ और हम्ल दोनों हालतों में तळाक हो जाती है अलबत्ता हैज़ की हालत में तळाक देना गुनाह है और अगर एक या दो तळाकें रज्ज़ दी हों तो रुजूअ़ करना वाजिब है । चुनान्चे हृदीसे मुबारक में है कि हैज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर رضي الله تعالى عنهما نे अपनी बीवी को हैज़ की हालत में एक तळाक दी तो नविय्ये करीम, रऊफुरहीम ने उन्हें तळाक से रुजूअ़ करने का हुक्म दिया और फ़रमाया कि रुजूअ़ कर

के फिर तुहर या'नी पाकी के दिन गुजर जाएं। फिर हैज़ के दिन आएं फिर जो दिन पाकी के आएं उन में तळाक़ दे। (بخاری و مسلم، شعوہ ص ۲۸۳) लिहाज़ा जो शख्स हैज़ की हालत में औरत को एक या दो तळाक़ें दे तो उस पर लाज़िम है कि रुजूअ़ करे कि इस हालत में तळाक़ देना गुनाह था अगर तळाक़ देनी है तो उस हैज़ के बा'द पाकी के दिन गुजर जाएं फिर हैज़ आ कर पाक हो तो अब तळाक़ दे येह हुक्म उस वक्त है कि जिमाअ़ से रज्ज़ुत की हो और अगर कौल या बोसा लेने या छूने से रज्ज़ुत की हो तो उस हैज़ के बा'द जो तुहर है उस में भी तळाक़ दे सकता है इस के बा'द दूसरे तुहर (पाकी के दिनों) के इन्तिज़ार की हाज़ित नहीं।

और जहां तक हम्मल में तळाक़ देने का तअल्लुक़ है तो इस सूरत में तळाक़ वाकेअ़ भी हो जाती है और इस में कुछ गुनाह भी नहीं। सिर्फ़ दूसरी सूरतों की निस्बत येह फ़र्क़ आता है कि इहत बच्चा जनने तक हो जाती है। ख़्वाह एक दिन बा'द जने या 9 महीने बा'द।

सुवाल नम्बर 12 :- अगर नशे या नींद में तळाक़ दी तो वाकेअ़ हो जाएगी या नहीं ?

जवाब :- अगर किसी ने नशा पी कर तळाक़ दी तो हो जाएगी। नशा ख़्वाह शराब पीने से हो या भंग या अफ़्यून या चरस या किसी और चीज़ से। बहर सूरत तळाक़ हो जाएगी। अलबत्ता अगर किसी ने उसे मजबूर कर के या'नी क़ल्ल या उऱ्ज़व काट देने की धमकी या धोके से नशा पिला दिया या हालते इज्ज़िरार में म-सलन प्यास से मर रहा था और कोई ह़लाल शै पीने को न थी तो ऐसी हालत में शराब वगैरा नशे की चीज़ पी

और उस के नशे में तळाक़ दी तो वाकेअ़ न होगी और नींद में दी जाने वाली तळाक़ भी वाकेअ़ न होगी ।

सुवाल नम्बर 13 :- अगर महूज़ डराने, धमकाने की निय्यत से तळाक़ दी तो वाकेअ़ होगी या नहीं ?

जवाब :- तळाक़ देने में तळाक़ की निय्यत करना ज़रूरी नहीं । ज़बान से तळाक़ के अलफ़ाज़ अदा हो गए तो तळाक़ हो जाएगी । ख़्वाह सन्जी-दगी से हो या मज़ाक़ से या डराने धमकाने की निय्यत से हत्ता कि अगर ज़बान से कोई और लफ़ज़ कहना चाहता हो और तळाक़ के अलफ़ाज़ निकल जाएं या लफ़ज़े तळाक़ बोला मगर उस के मा'ना नहीं जानता या भूल कर या ग़फ़्लत में तळाक़ दी हर सूरत में तळाक़ हो जाएगी । लिहाज़ा आम तौर पर लोग जो उँच़े पेश करते हैं कि हमारी निय्यत तळाक़ की नहीं थी बल्कि सिफ़े डराना मक्सूद था इस का कुछ ऐतिबार नहीं ।

सुवाल नम्बर 14 :- अगर कोई ना बालिग़ या पागल तळाक़ दे दे या लड़की ना बालिग़ा या पागल हो तो इस सूरत में तळाक़ का क्या हुक्म है ?

जवाब :- ना बालिग़ और पागल न खुद तळाक़ दे सकते हैं और न ही उन की तरफ से उन के बली (सर परस्त) दे सकते हैं और येह तळाक़ वाकेअ़ भी न होगी क्यूं कि तळाक़ के लिये शोहर का आ़किल, बालिग़ होना शर्त है अलबत्ता अगर लड़की ना बालिग़ा या पागल है लेकिन तळाक़ देने वाला आ़किल व बालिग़ है तो तळाक़ हो जाएगी । ना बालिग़ लड़के का बाप जिस तरह अपने बेटे का निकाह कर सकता है इस तरह तळाक़ नहीं दे सकता ।

सुवाल नम्बर 15 :- अगर तळाक को किसी शर्त पर मुअल्लक किया तो तळाक कब वाकेअ होगी ?

जवाब :- अगर तळाक को किसी शर्त पर मुअल्लक किया म-सलन शोहर ने बीवी से कहा अगर तू फुलां रिश्तेदार के घर गई तो तुझे तळाक है ऐसी सूरत में अगर औरत उस रिश्तेदार के घर गई तो तळाक पड़ जाएगी लेकिन तळाक उतनी ही पड़ेंगी जितनी उस ने कहीं म-सलन मञ्चूरा मिसाल की सूरत में उस रिश्तेदार के घर जाने से एक तळाके रर्ज्ज पड़ जाती है और अगर दो या तीन को मुअल्लक करता तो उतनी तळाकें ही पड़तीं जितनी उस ने कही थीं ।

सुवाल नम्बर 16 :- अगर कोई गुस्से में अपनी बीवी को वालिदैन या किसी और अ़ज़ीज़ के हां जाने से मन्थ कर दे और कहे अगर फुलां के घर गई तो तुझे तीन तळाक । लेकिन बा'द में इस पर पछताए और वालिदैन से मिलने की इजाज़त भी देना चाहे तो क्या करे जिस से औरत वालिदैन के घर जा भी सके और तीन तळाक भी न हों ?

जवाब :- शोहर को चाहिये कि औरत को एक तळाक दे दे फिर इद्दत गुज़रने के बा'द औरत वालिदैन वगैरा के घर जाए फिर शोहर उस से नए सिरे से निकाह कर ले अब अगर औरत उस साबिका ममूआ घर जाएगी तो कोई तळाक न होगी । लेकिन येह तरीका उसी वक्त कारआमद है, जब शोहर पहले जिन्दगी में दो तळाकें न दे चुका हो अगर पहले दो तळाकें दे चुका था तो अब हरगिज़ तळाक न दे कि इस सूरत में तीसरी तळाक भी वाकेअ हो जाएगी । तो जिस शै से छुटकारे का इरादा था उसी में फंस

जाएगा । और तीन तळाक की सूरत में हलाला के बिगैर रुजूअ़ न हो सकेगा । (बहारे शरीअत, 8/44)

सुवाल नम्बर 17 :- क्या तळाक के इलावा भी कोई सूरत है जिस से औरत निकाह से निकल जाती है ?

जवाब :- शोहर के वफ़ात पाने से औरत का निकाह से निकल जाना तो वाज़ेह है अलबत्ता अगर **مَلَدْعُون** शोहर मुरतद या'नी काफ़िर हो जाए तो भी निकाह ख़त्म हो जाता है और औरत इहत गुज़ार कर जहां चाहे निकाह कर सकती है । आज कल येह सूरत भी मुशा-हदे में आई है कि लोग कुरआने मजीद या किसी शर-ई मस्अले को जानते हुए बुरा कह देते हैं या देवबन्दियों की कुफ़िय्या इबारतों पर मुत्तलअ़ हो कर और उन पर शर-ई हुक्मे कुफ़ जान कर भी उन इबारतों के क़ाइलीन को मुसल्मान कहते हैं या कम अज़ कम काफ़िर मानने से इन्कार कर देते हैं । ऐसी सूरत में भी निकाह टूट जाता है और औरत इहत गुज़ार कर जहां चाहे निकाह कर सकती है । जिन देवबन्दियों को काफ़िर जानना ज़रूरी है वोह वोही हैं जिन्हों ने कुफ़िय्या इबारतें कहीं म-सलन अशरफ अ़ली थानवी वगैरा और वोह लोग काफ़िर हैं जो उन इबारतों पर मुत्तलअ़ हो कर भी उन्हें मुसल्मान जानते हैं । आज कल के वोह देवबन्दी जिन को अ़काइद का पता ही नहीं उन्हें काफ़िर नहीं कहेंगे ।

(फ़तावा र-ज़विय्या, 4/366, बहारे शरीअत, 7/83)

सुवाल नम्बर 18 :- तळाक के लिये कौन सा लफ़्ज़ बोला जाए ?

जवाब :- तळाक के लिये हमेशा एक तळाक का लफ़्ज़ बोलना चाहिये ।

तीन तळाकें यक्बारगी हरगिज़ न दें। लिहाज़ा तळाक़ देनी हो तो येह लफ़्ज़ कहें “मैं ने तुझे तळाक़ दी” या कहे “मैं ने अपनी बीवी को तळाक़ दी” या बीवी का नाम म-सलन हिन्दा है तो कहे “मैं ने हिन्दा को तळाक़ दी” तीन तळाक़ का लफ़्ज़ हरगिज़ न कहें।

सुवाल नम्बर 19 :- वोह कौन सी तळाक़ है जिस के बा’द रुजूअ़ हो सकता है ?

जवाब :- अगर बीवी को एक या दो तळाकें दी हैं तो शोहर रुजूअ़ कर सकता है लेकिन इस की सूरत येही है कि शोहर ने बीवी को एक या दो तळाकें रज्ज़ दी हों। म-सलन यूँ कहा था “मैं ने तुझे तळाक़ दी” या यूँ कहा था “मैं ने तुझे दो तळाकें दीं” या एक तळाक़ पहले कभी ज़िन्दगी में दी थी और एक तळाक़ अब दी तो येह दूसरी तळाक़ हुई अब भी रुजूअ़ हो सकता है।

(۱۹/۵۴)

सुवाल नम्बर 20 :- रुजूअ़ का क्या मतलब है और इस का क्या तरीक़ा है ? और इस में औरत का राज़ी होना ज़रूरी है या नहीं ?

जवाब :- रुजूअ़ या रज्ज़उत का मतलब येह है कि जिस औरत को तळाके रज्ज़ या’नी एक या दो तळाकें दीं इदत के अन्दर उसे उसी पहले निकाह पर बाकी रखना। रज्ज़उत का तरीक़ा येह है कि दो आदिल गवाहों के सामने कहे : “मैं ने अपनी बीवी से रुजूअ़ किया या मैं ने उसे वापस लिया या रोक लिया” अगर गवाहों के सामने न हो तो भी रुजूअ़ हो जाता है। रुजूअ़ का दूसरा तरीक़ा येह है : मर्द बीवी से जिमाअ़ कर ले या शहवत के साथ बोसा ले या शहवत से बदन को छू ले वग़ेरहा।

रुजूअ़ में औरत का राजी होना ज़रूरी नहीं अगर्चे वोह इन्कार भी करे तब भी शोहर के रुजूअ़ कर लेने से रुजूअ़ हो जाएगा ।

सुवाल नम्बर 21 :- वोह कौन सी तळाक़ है जिस के बा'द दोबारा निकाह की ज़रूरत होती है ?

जवाब :- ऐसी तळाक़ को तळाक़े बाइन कहते हैं । म-सलन शोहर सरीह अल्फ़ाज़े तळाक़ न कहे बल्कि यूँ कहे “तू मुझ पर हराम है” या तळाक़ की नियत से कहे “मैं ने तुझे आज़ाद किया या निकल या चल या जा या दफ़अ़ हो या शक्ल गुम कर या और शोहर तलाश कर या चलती नज़र आ या बिस्तर उठा” वगैरहा के अल्फ़ाज़ कहे या तळाक़ के अल्फ़ाज़ ही यूँ कहे “तुझे सब से गन्दी तळाक़” या “सब से सख़्त तळाक़” इस किस्म के अल्फ़ाज़ कहे तो इस सूरत में तळाक़े बाइन वाकेअ़ होगी और इस का हुक्म येह है कि इद्दत के अन्दर और इद्दत के बा'द दोनों सूरतों में अगर मर्द औरत दोनों निकाह कर लें तो रुजूअ़ हो जाएगा । इस में हलाला की ज़रूरत नहीं । अलबत्ता इस सूरत में औरत से निकाह के लिये उस की इजाज़त व रिज़ा मन्दी ज़रूरी है अगर वोह राजी न हो तो निकाह नहीं हो सकता । यूँही अगर औरत को एक या दो तळाक़े रज्ज़ी दी थीं और शोहर ने इद्दत में रुजूअ़ न किया है कि इद्दत गुज़र गई तो अब नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा । तब रुजूअ़ होगा और ऐसी सूरत में औरत की रिज़ा मन्दी ज़रूरी है । अगर वोह राजी नहीं तो शोहर तन्हा रुजूअ़ नहीं कर सकता ।

(رد المحتار ٤٠ / ٥)

सुवाल नम्बर 22 :- शोहर अगर औरत से रुजूअ़ करे तो अब उसे कितनी तळाक़ों का हक़ हासिल होगा ?

जवाब :- अगर शोहर ने एक तळाक के बा'द रुजूअ़ किया तो दो तळाकों का इख्तियार है और अगर दो तळाकों के बा'द रुजूअ़ किया तो एक तळाक का इख्तियार है। या'नी ज़िन्दगी में उसे तीन तळाकों का इख्तियार है अगर एक तळाक चालीस साल पहले भी दी तो वोह बिलकुल ख़त्म न हो जाएगी दोबारा अगर तळाक दी तो वोह दूसरी शुमार की जाएगी फिर अगर्चे सत्तर साल बा'द तळाक दे वोह तीसरी शुमार की जाएगी और वोह औरत उस मर्द पर ह़राम हो जाएगी। अलबत्ता अगर बिलफ़र्ज़ एक या दो तळाकों के बा'द औरत ने किसी और मर्द से शादी कर ली फिर उस मर्द ने भी जिमाअ़ के बा'द तळाक दे दी तो अब अगर वोह औरत पहले शोहर से निकाह करे तो उसे नए सिरे से तीन तळाकों का इख्तियार हासिल हो जाएगा। (फ़तावा र-ज़विय्या व शामी व आलमगीरी)

सुवाल नम्बर 23 :- जिस औरत की अभी रुख़सती नहीं हुई उसे तळाक दी तो क्या हुक्म है ?

जवाब :- जिस औरत की रुख़सती नहीं हुई या'नी उस के साथ ऐसी तन्हाई मुयस्सर न हुई कि जिस में वोह उस से जिमाअ़ कर सके अगर इस से पहले तळाक दी तो वाकेअ़ हो जाएगी अलबत्ता जिस औरत से ख़ल्वत हो चुकी उस में और इस गैर मदख़ूला (जिस से ख़ल्वत न हुई) में येह फ़र्क़ है कि गैर मदख़ूला को अगर इकट्ठी तीन तळाकें दीं तो तीनों वाकेअ़ हो जाएंगी या'नी यूं कहा “तुझे तीन तळाक़” और अगर कहा तुझे दो तळाक तो दो वाकेअ़ होंगी। और अगर ऐसी औरत को यूं तळाकें दीं “तुझे तळाक़ है तळाक़ है तळाक़ है” या “तुझे तळाक, तळाक, तळाक” या कि

“तुझे तळाक है एक और एक और एक (तीन मर्तबा)” या’नी ऐसी तमाम सूरतें जिन में तळाक के अल्फ़ाज़ की सिर्फ़ तकार करे तीन तळाकें न कहे तो सिर्फ़ एक तळाक वाकेअ होगी और बाकी लग्व क़रार दी जाएंगी । और ख़ल्वत व तन्हाई से पहले तळाक देने की सूरत में मुक़र्रर कर्दा महर का निस्फ़ दिया जाएगा म-सलन दस हज़ार रूपै मुक़र्रर हुवा तो पांच हज़ार दिया जाएगा । और अगर मुक़र्रर ही न किया गया था, तो एक जोड़ा देना वाजिब है । अगर मियां बीवी दोनों मालदार हों तो जोड़ा आ’ला द-रजे का और अगर दोनों मोह़ताज हों तो जोड़ा मा’मूली क़िस्म का और अगर एक मालदार और दूसरा मोह़ताज हो तो दरमियाने द-रजे का जोड़ा देना वाजिब है ।

सुवाल नम्बर 24 :- वोह कौन सी तळाक है जिस के बा’द ह़लाला के सिवा चारा नहीं ?

जवाब :- अगर शोहर ने बीवी को तीन तळाकें दे दीं तो बिगैर ह़लाला के चारा नहीं । ख़्वाह यक्बारागी तीन तळाकें दीं या जुदा जुदा कर के । हर सूरत में अब बिगैर ह़लाला के कोई सूरत दोबारा निकाह में आने की नहीं । फ़रमाने बारी तआला है :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ مَّا بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
ईमान : फिर अगर (शोहर ने) तीसरी तळाक उसे (औरत को) दी तो अब वोह औरत उसे (पहले शोहर) के लिये ह़लाल न होगी जब तक दूसरे ख़ावन्द के पास न रहे । (٢٣٠) और येही बात बुखारी व मुस्लिम और दीगर

कुतुबे अहादीस में नविय्ये करीम, रऊफुर्रहीम, रजीन उल्लाम ने صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ एक सहाबी हज़रते रिफ़ाआ^{رض} की बीवी से फ़रमाई।

सुवाल नम्बर 25 :- ख़्वाह म ख़्वाह ह़लाला करवाना कैसा ?

जवाब :- ह़लाला की शर्त पर निकाह करना ना जाइज़ व गुनाह है। हज़रते अब्दुल्लाह बिन मस्�ज़ूद से मरवी है कि नविय्ये करीम, रऊफुर्रहीम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ह़लाला करने वाले और जिस के लिये ह़लाला किया गया उस पर ला'नत फ़रमाई। (مَكْوَلَةٌ شَرِيفٌ)

सुवाल नम्बर 26 :- ह़लाला की क्या सूरत है कि जिस में गुनाह न हो ?

जवाब :- अगर निकाह में ह़लाला की शर्त न रखी जाए तो गुनाह नहीं म-सलन कोई क़ाबिले ए'तिमाद आदमी है उस के सामने सारी सूरते हाल बयान कर दी जाए तो वोह औरत से इद्दत गुज़रने के बा'द निकाह कर ले और निकाह में ह़लाला की शर्त न रखी जाए फिर वोह आदमी निकाह के बा'द जिमाअ़ कर के तळाक़ दे दे तो इस में कोई कराहत नहीं बल्कि अगर अच्छी नियत है तो अब्र का मुस्तहिक़ है फिर पहला शोहर औरत की इद्दत गुज़रने के बा'द उस से निकाह कर ले।

(बहारे शरीअत, 8/72)

सुवाल नम्बर 27 :- क्या एक वक़्त में तीन तळाक़ें दी जा सकती हैं ?

जवाब :- एक वक़्त में तीन तळाक़ें देना गुनाह है चुनान्वे नसाई शरीफ में हदीस है, हज़रते महमूद बिन लुबैद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ रिवायत करते हैं, कि नविय्ये करीम, रऊफुर्रहीम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ख़िदमत में एक शख़्स के बारे में ज़िक्र किया गया जिस ने अपनी बीवी को तीन तळाक़ें

صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلَهُ وَسَلَّمَ إِكْثُرٌ دَे دَी ثُرِّيْنَ تُو نَبِيِّيْكَارِيِّمَ، رَجُلُ فُرَّحَيِّيِّمَ إِنْتِهِرَاءِيِّمَ جَلَالَ مَيْنَ مَخْدُوِّلَ هَوَيْهَ اَوَرَ فَرِمَايَا كَيَا وَهَ شَأْخُسَ اَلَّلَاهِ
عَزَّ وَجَلَّ كَيِّيْ كِتَابَ كَيِّيْ سَأَلَتَهَا هَلَّا لَيْلَاتَهَا كَيِّيْ مَيْنَ عَنْهَا كَيِّيْ دَرَمِيَّانَ مَأْجُودَ
هَوَيْهَ । هَتَّا كَيِّيْ اَدَمِيَّ نَهَيْ خَدَوَهَوَيْهَ كَرَ كَهَا : يَا رَسُولَلَاهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلَهُ وَسَلَّمَ كَيِّيْ مَأْنَى عَسَلَهَوَيْهَ كَرَ دَوَيْهَ (مَشْكُونَةٌ ٢٨٣)

लिहाजा तीन तळाकें इकट्ठी न दी जाएं कि गुनाह है अलबत्ता
अगर किसी ने तीन तळाकें इकट्ठी दे दीं तो यक़ीनन वाकेअँ हो जाएँगी ।
जैसा कि मङ्कूरा बाला हड़ीस में मौजूद है । इस मस्तिष्क की तपःसील कि
एक मजलिस में दी गई तीन तळाकें तीन होती हैं कुतुबे उँ-लमाएँ अहले
सुन्नत में मौजूद है नीज़ इस के लिये दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत कन्जुल
ईमान मस्जिद बाबरी चौक (गुरु मन्दिर) कराची से भी तपःसीली मुदल्लल
फ़तवा हासिल किया जा सकता है ।

सुवाल नम्बर 28 :- क्या तीन तळाक़ों के बा'द ख़ानदान के बड़े लोग सुलह़ करवा सकते हैं अगर नहीं तो जो लोग गैर मुक़लिलदीन से फ़तवा ले कर दोबारा साबिक़ा बीवी को घर में रख लेते हैं उन के बारे में शरीअत का क्या हुक्म है ?

जवाब :- जब तीन तळाकों के बा'द कुरआन व हडीस के फ़रामीन से औरत का मर्द पर ह्राम होना साबित है तो ख़ानदान के बड़े या गैर मुक़ल्लिदीन हरगिज़ عَزُوجْلٌ अल्लाह के ह्राम को हलाल नहीं कर सकते। तीन तळाकों के बा'द बिगैर हलाले के बीची रखना ह्राम है और वे गैरती हैं। और ऐसी औरत से मर्द का जिमाअ करना ह्राम व जिना

है। और इस जिना के गुनाह में मर्द व औरत, खानदान के सुल्ह कराने वाले लोग और गैर मुक़ल्लिद सब शामिल हैं। और इस बे गैरती में सब शरीक हैं। और येह ऐसा जिना होगा जो सारी जिन्दगी होता रहेगा। कि जब वोह मर्द व औरत मियां बीवी नहीं तो उन का जब भी मियां बीवी वाला तअल्लुक़ होगा वोह जिना ही होगा। और हर मर्तबा सब अफ़राद गुनाह में शरीक होंगे। लिहाज़ा ज़रूरी है कि जब भी औरत को तळाक़ दें तो एक तळाक़ दें और फिर छोड़ दें हत्ता कि इद्दत गुज़र जाए ताकि अगर बा'द में सुल्ह का इरादा बने तो बिगैर हळाला के सुल्ह हो सके।

सुवाल नम्बर 29 :- जो बिगैर हळाला के साबिका बीवी को रखे उस के साथ रिश्तेदारों को क्या सुलूक करना चाहिये ?

जवाब :- ऐसे शाख़स से रिश्तेदारों को क़हू़ तअल्लुक़ करना चाहिये।

उस से लैन दैन, बातचीत और शादी व ग़मी में आना जाना बन्द कर दें। ताकि वोह मजबूर हो कर इस जिनाकारी से बाज़ आ जाए। हुक्मे खुदा

وَإِنَّمَا يُسْبِئُكُ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الدِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلَمِينَ “^١

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो कहीं तुझे शैतान भुलावे तो याद आए

पर ज़ालिमों के पास न बैठ।” (النعام/٧)

सुवाल नम्बर 30 :- तळाक़ देने का शर-ई तरीक़ा क्या है ?

जवाब :- तळाक़ देने का सब से अच्छा तरीक़ा येह है कि बीवी को उन

पाकी के दिनों में जिन में औरत से जिमाअ न किया हो एक तळाक़ दी

जाए और छोड़ दिया जाए हत्ता कि इद्दत के दिन गुज़र जाएं और इस से

कम अच्छा तरीक़ा मु-तअद्दद सूरतों पर मुश्तमिल है : (1) जिस औरत

से खल्वत न हुई उस को तळाक़ दी जाए अगर्चे हैज़ के दिनों में हो । (2) जिस से खल्वत हो चुकी उस को तीन तुहरों (पाकी के दिनों में) तीन तळाकें दी जाएं हर तळाक़ एक तुहर में वाकेअ हो और किसी तुहर में औरत से जिमाअ न किया हो और न ही हैज़ के दिनों में औरत से जिमाअ किया हो (3) वोह औरत जिसे हैज़ नहीं आता म-सलन ना बालिगा या हामिला या हैज़ न आने की मुद्दत को पहुंची हुई औरत इन सब को तीन महीनों में तीन तळाकें दें अगर्चे जिमाअ करने के बाद येह सब सूरतें भी जाइज़ हैं इन में कुछ कराहत नहीं । और इस के इलावा हैज़ में तळाक़ देना या एक ही तुहर (पाकी के दिनों) में तीन तळाकें देना या जिस तुहर में औरत से जिमाअ किया उस में तळाक़ देना या तळाक़ तुहर में दी मगर उस से पहले जो हैज़ गुज़रा उस में औरत से जिमाअ किया था या पहले वाले हैज़ में तळाक़ दी थी या येह सब बातें नहीं मगर तुहर में तळाके बाइन दी थी या'नी वोह तळाक़ जिस में बिगैर निकाह के रुजूअ नहीं हो सकता जिस की तफ़सील (सुवाल नम्बर 21 के जवाब में) गुज़री इन सब सूरतों में तळाक़ देना बहुत बुरा और मम्नूअ है । मगर सब सूरतों में तळाक़ हो जाएगी । लिहाज़ा चाहिये कि सब से पहला तरीक़ा इख्तियार किया जाए । बा'ज़ लोग समझते हैं कि एक तळाक़ शायद होती ही नहीं तीन तळाकें ही सहीह तळाक़ होती है । येह बात दुरुस्त नहीं जैसा कि मज़कूरा बाला तफ़सील से वाज़ेह हो चुका ।

सुवाल नम्बर 31 :- अगर शोहर ने तळाक़ लिख कर दी या तळाक़ की तहरीर पर दस्त-ख़त किये तो तळाक़ वाकेअ होगी या नहीं ?

जवाब :- जिस तरह ज़बानी तळाक हो जाती है इसी तरह तहरीरी तळाक भी हो जाती है बल्कि इस में मु-तअद्द सूरतें हैं (1) खुद तळाक का मज़मून तहरीर किया (2) दूसरे को मज़मून तहरीर करने का कहा (3) दूसरे ने अपनी तरफ से तळाक का काग़ज़ लिखा शोहर ने काग़ज़ पढ़ कर या मफ्हूम जान कर रिज़ा मन्दी का इज़हार कर दिया या दस्त-ख़त कर दिये (4) पढ़वा कर तो नहीं सुना मगर येह मा'लूम था कि इस में मेरी बीवी को तळाक दी गई है इस पर रिज़ा मन्दी कर दी या दस्त-ख़त कर दिये। इन तमाम सूरतों में रिज़ा मन्दी का इज़हार किया या दस्त-ख़त किये या अंगूठा लगाया तळाक वाक़ेअ़ हो जाएगी। और तहरीरी तळाक में लिख देने से ही या लिखे हुए पर दस्त-ख़त करने थे तो दस्त-ख़त करते ही तळाक हो जाएगी। वोह काग़ज़ औरत तक पहुंचे या न पहुंचे। और ख़्वाह येह खुद या कोई और वोह काग़ज़ फाड़ दे। अलबत्ता अगर तहरीरी तळाक के अल्फ़ाज़ येह हों “मेरा येह ख़त जब तुझे पहुंचे तो तुझे तळाक है” तो औरत को जब तहरीर पहुंचेगी उस वक़्त तळाक होगी। औरत चाहे पढ़े या न पढ़े। और अगर उसे तहरीर पहुंची ही नहीं म-सलन शोहर ने मज़कूरा अल्फ़ाज़ तो लिख दिये मगर वोह तहरीर भेजी नहीं या फाड़ दी या रास्ते में गुम हो गई या औरत के बाप या भाई या किसी और रिश्तेदार को पहुंची उस ने औरत तक पहुंचने से पहले ही फाड़ कर फेंक दी तो इन सब सूरतों में तळाक न होगी। अलबत्ता अगर येह तहरीर लड़की के बाप को पहुंची और उस ने वोह तहरीर फाड़ दी तो अगर लड़की के तमाम कामों में बाप तसरुफ़ करता है और वोह तहरीर उस शहर में बाप को

मिली जहां लड़की रहती है तो तळाक़ हो गई वरना नहीं ।

सुवाल नम्बर 32 :- अगर मर्द ने औरत को तन्हाई में तीन तळाकें दीं और अब इन्कार करता है तो औरत क्या करे ?

जवाब :- शोहर ने औरत को तीन तळाकें दीं फिर इन्कार करे और औरत के पास गवाह न हों तो जिस तरह मुम्किन हो औरत उस से पीछा छुड़ाए महर मुआफ़ कर के या अपना माल दे कर उस से अलाहिदा हो जाए । ग्रज़ जिस तरह भी मुम्किन हो उस से कनारा कशी करे और किसी तरह मर्द न छोड़े तो औरत मजबूर है । मगर हर वक्त इसी फ़िक्र में रहे कि जिस तरह मुम्किन हो रिहाई हासिल करे और पूरी कोशिश इस की करे कि सोहबत न करने पाए । येह हुक्म नहीं कि खुदकुशी कर ले औरत जब इन बातों पर अमल करेगी तो माज़ूर है और शोहर बहर हाल गुनाहगार है ।

सुवाल नम्बर 33 :- औरत को जब तळाक़ हो जाए तो वोह क्या करे ? क्या तळाक़ के बा'द भी शोहर के ज़िम्मे औरत के कुछ हुकूक़ रहते हैं ?

जवाब :- औरत को जब तळाक़ हो जाए तो वोह इद्दत गुज़ारेगी और शोहर के ज़िम्मे इद्दत के दौरान औरत को रिहाइश और ख़र्चा देना लाज़िम है । औरत उसी मकान में इद्दत गुज़ारेगी जिस में तळाक़ के वक्त शोहर के साथ रिहाइश पज़ीर थी । अगर किसी और जगह औरत गई हुई थी तो इत्तिलाअ़ मिलते ही शोहर के घर पहुंच जाए ।

सुवाल नम्बर 34 :- औरत इद्दत कैसे गुज़ारेगी ?

जवाब :- अगर औरत को तळाके रज्ज़ हुई है तो औरत इद्दत में बनाव

सिंघार करे जब कि शोहर मौजूद हो और औरत को उस के रुजूअ़ करने की उम्मीद हो। और अगर शोहर मौजूद नहीं या औरत को शोहर के रुजूअ़ करने की उम्मीद नहीं, तो ज़ीनत न करे। और शोहर का रुजूअ़ करने का इरादा न हो तो वोह भी औरत के साथ ख़ल्वत में न जाए और जब औरत के मकान में जाए तो ख़बर दे दे या खन्खार कर जाए या इस तरह कि औरत जूते की आवाज़ सुने।

और अगर औरत तळाके बाइन या वफ़ात की इद्दत में है तो उसे ज़ीनत करना हराम है। ज़ीनत न करने का मा'ना येह है : हर किस्म के ज़ेबर सोने, चांदी, जवाहिर वगैरहा के और हर किस्म और हर रंग के रेशम के कपड़े अगर्चे सियाह हों न पहने। और कपड़े और बदन पर खुशबू न लगाए। न तेल इस्ति'माल करे न कंधी करे न सियाह सुरमा लगाए यूंही सफेद खुशबूदार सुरमा भी न लगाए। यूंही मेंहंदी लगाना या ज़ा'फ़रान या कुसुम या गेरू के रंगे हुए कपड़े या सुर्ख़ कपड़े पहनना येह सब मनूअ़ हैं। अलबत्ता सर दर्द की वजह से सर में तेल लगा सकती है और मोटे दन्दनों की कंधी भी कर सकती है और आंखों में दर्द की वजह से ब कदरे ज़रूरत सुरमा भी लगा सकती है। या'नी अगर रात को सुरमा लगाना किफ़्यात करे तो रात ही को लगाने की इजाज़त है, दिन में नहीं। और सफेद सुरमा से ज़रूरत पूरी हो जाए तो सियाह सुरमा लगाना मन्धु है। यूंही इद्दत में चूड़ियां पहनना गले में हार या लोकिट, कानों में या नाक में कांटे बालियां पहनना सब मनूअ़ हैं।

(۱۹۱۷/۵، ۱۴۱۷)

दौराने इद्दत औरत घर से बाहर भी नहीं जा सकती अलबत्ता

अगर वफ़ात की इद्दत में हो और कस्बे हळाल के लिये बाहर जाना पड़े तो औरत दिन के वक़्त जा सकती है जब कि रात का अक्सर हिस्सा घर में गुज़ारे और येह जाना भी इस सूरत में है जब ख़र्चे के लिये रक़म न हो अगर ब क़दरे किफ़ायत रक़म है तो बाहर निकलना ममूल। जिस मरज़ का इलाज घर में नहीं हो सकता उस के लिये भी बाहर जा सकती है। जिस मकान में इद्दत गुज़ारना वाजिब है उस को छोड़ नहीं सकती। अलबत्ता अगर शोहर या मालिकाने मकान या इद्दते वफ़ात में शोहर के वु-रसा निकाल दें या मालिके मकान किराया मांगे और किराया है नहीं या जहां माल, आबरू को सहीह अन्देशा लाहिक हो तो मकान बदल सकती है। (٢٢٥، ٢٢٣/٥، رواج)

सुवाल नम्बर 35 :- औरत कितने दिन इद्दत गुज़ारेगी ?

जवाब :- अगर शोहर फ़ौत हो गया तो औरत 4 महीने 10 दिन इद्दत गुज़ारेगी (١٣٤) और अगर औरत हामिला हो तो इद्दते वफ़ात बच्चा जनना है एक घन्टे बा'द जन दे या 9 महीने बा'द (٤) और अगर शोहर ने औरत को तळाक दी हो तो इस में मु-तअद्वद सूरतें हैं (1) औरत हामिला हो बच्चा जनना इद्दत है। (٢٨) (2) औरत को हैज़ आता है तो मुकम्मल तीन हैज़ों का गुज़र जाना (١٢٨) और अगर औरत को हैज़ में तळाक दी हो तो उस हैज़ का ए'तिबार नहीं, बल्कि उस के बा'द नए सिरे से मुकम्मल तीन हैज़ों का गुज़रना ज़रूरी है (3) अगर औरत को हैज़ आना शुरूअ़ ही नहीं हुवा या औरत इतनी उम्र की हो चुकी है कि हैज़ आना बन्द हो गया है। तो इन की इद्दत तीन महीने हैं (٤) अलबत्ता

अगर लड़की को हैज़ नहीं आया था और वोह महीने के हिसाब से इद्दत गुज़ार रही थी, कि हैज़ शुरूअ़ हो गया तो अब तीन हैज़ से ही इद्दत पूरी करेगी ।

वफ़ात की इद्दत तो औरत को बहर सूरत गुज़ारनी होती है औरत छोटी उम्र की हो या ज़ियादा उम्र की, शोहर से ख़ल्वत हुई या नहीं । अलबत्ता तळाक की इद्दत उसी सूरत में गुज़ारना पड़ेगी जब औरत से मर्द की ख़ल्वत हुई हो अगर मर्द व औरत की ख़ल्वते सहीहा नहीं हुई तो इद्दत भी नहीं बल्कि औरत तळाक के फ़ौरन बा'द निकाह कर सकती है ।

اَللّٰهُمَّ ! تَلَاكُ كَمْ مُؤْمِنٍ عَلَيْهِ وَاللهُ وَصَحِّبِهِ وَسَلَّمَ
اَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ اُلْمَعِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَصَحِّبِهِ وَسَلَّمَ
! तळाक के मौज़ूअ़ पर चन्द मसाइल जम्म करने की सआदत हासिल हुई, अल्लाह तआला से दुआ है कि वोह इसे अपनी बारगाहे इज़ज़त में श-रफ़े क़बूलिय्यत अ़ता फ़रमाए, आम अ़वाम के लिये फ़ाएदा मन्द और हुसूले इल्म का ज़रीआ और राक़िम के लिये मग़िफ़रत का सबब बनाए ।

مُعْنَى عَنْهُ مُحَمَّدُ كَاسِمٌ الْأَطْفَالِيُّ

26 रबीउन्नर 1424 हि. ब मुताबिक 29 मई 2003 ई.

सून्नत की बहारें

हर इस्लामी धाई अपना येह ज़ेहन बनाए कि "मुझे अपनी और सारी दुन्या के स्तोंगों की इस्लाह की कोशिश करनी है । ﴿۱۷۸﴾" अपनी इस्लाह की कोशिश के लिये "म-इस्ली इ-अल्लामात" पर अबल और सारी दुन्या के स्तोंगों की इस्लाह की कोशिश के लिये "म-इस्ली काफिलों" में सफर करता है । ﴿۱۷۹﴾



મફ-ડ-પ્રો મહીવા

• ३

كتاب الله

કેરાને મરીના, ચી કોનિયા બગ્નિચે કે સાથને, મિરજાપુર, અહમદાબાદ-૧, ગુજરાત, ઇન્ડિયા
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net